न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 04 / 2022

सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ, जिला अजमेर

.....**प्रार्थी**

बनाम

श्री गिरीश पुत्र श्री वीरूमल, जाति सिन्धी (आसुदानी) निवासी ग्राम रूपनगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर

.....**अप्रार्थी**

राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 नियम 13(1), 18 के अन्तर्गत

उपस्थित :–

1– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील
2– श्री अजीतसिंह राठौड, वकील अप्रार्थी की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक–27.06.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 29.08.1986 को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा श्री वीरूमल पुत्र श्री रिझूमल, जाति सिन्धी, निवासी ग्राम रूपनगढ के पक्ष में ग्राम रूपनगढ के आराजी खसरा नम्बर 2406 कुल रकबा 30 बीघा किस्म गै0मु0 खारड़ा में से रकबा 15 बीघा भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के अन्तर्गत आवंटन किया गया। तहसीलदार रूपनगढ द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। लायक पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटी श्री वीरूमल पुत्र श्री रिझूमल, जाति सिन्धी, निवासी ग्राम रूपनगढ के पक्ष में दिनांक 29.08.1986 को विवादित भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के तहत आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन नियम 13 के तहत आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त कराने हेतु तहसीलदार किशनगढ द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र संख्या 458 / 91 पेश किया गया। प्रकरण में दिनांक 30.07.1992 को आदेश पारित किया जाकर आवंटी (अप्रार्थी के पिता) के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवंटी के पुत्र (अप्रार्थी) व उनकी पत्नि श्रीमति ईश्वरी देवी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर मे अपील संख्या 40 / 2005 दायर की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा निर्णय दिनाक 22.05.2006 से अपील निरस्त की जाकर आदेश दिनाक 30.07.1992 यथावत रखा गया। तत्पश्चात उक्त निर्णय को अप्रार्थी व ईश्वरी देवी ने मान0 राजस्व मण्डल राज0, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 3477 / 2006 से चुनौती दी जिसमें माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

निर्णय दिनांक 11.06.2007 से उक्त आदेश दिनांक 30.07.1992 व 22.05.2006 निरस्त करते हुए आवंटी को तीन वर्ष में विवादित आराजी पर वृक्षारोपण करने का अवसर देते हुए उक्त अवधि में वृक्षारोपण नही करने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये। माननीय मण्डल द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध तहसीलदार किशनगढ ने नजरसानी संख्या 7413/07 प्रस्तुत की जो मान0 मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 23.01.2009 से निरस्त करते हुए निर्णय दिनांक 11.06.2007 यथावत रखा गया।

पैरोकार सरकार ने आगे कथन किया कि सरपंच आदर्श ग्राम पंचायत रूपनगढ ने पत्र क्रमांक 47 दिनांक 27.08.2020 से प्रार्थना पत्र मय ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 05.02.2020 के प्रस्ताव संख्या 9 व अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ को ग्राम रूपनगढ के सिवायचक आराजी खसरा संख्या 1562 रकबा 0.4611 है0 किस्म गै0मु0 हरडा, खसरा संख्या 1197 रकबा 1.3429 है0 किस्म गै0मु0 छापर, खसरा संख्या 3437/1202 रकबा 2.3137 है0 किस्म छापर, खसरा संख्या 1226 रकबा 1.3105 है0 किस्म गै0मु0 हरडा व खसरा संख्या 2406 रकबा 4.7561 है0 किस्म गै0मु0 खारडा को ग्राम पंचायत रूपनगढ के लिये आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तत्समय विवादित आराजी राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में किस्म गै0मु0 खारडा सिवायचक दर्ज थी, राजस्व अभिलेख में निजी वन विकास हेतु आवंटन सम्बन्धी कोई इन्द्राज नहीं होने, मौके पर किसी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं किया हुआ होने व भूमि मौके पर रिक्त होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षण प्रस्ताव में विवादित आराजी शामिल कर ली गई तथा जिला कलक्टर महोदय, अजमेर द्वारा आदेश क्रमांक 223 दिनांक 17.12.2020 से प्रस्ताव अनुसार प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 2406 रकबा 4.7561 है0 में से रकबा 4.2707 है0 को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने के आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश की पालना में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2406 में से आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि रकबा 4.2707 है0 नवीन खसरा संख्या 4153/2406 रकबा 4.2707 जरिये नामान्तरकरण संख्या 6385 दिनांक 14.02.2021 से स्वीकृत कर ग्राम पंचायत रूपनगढ को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित दर्ज कर दी गई। उनका आगे कथन है कि आवंटी द्वारा कभी भी आवंटित आराजी पर वृक्षारोपण नहीं किया गया एवं आवंटी की मृत्यु पश्चात अप्रार्थी द्वारा भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। विवादित आराजी वर्तमान में भी मौके पर रिक्त होकर किसी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं किया हुआ है। माननीय मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 11.06.2007 अनुसार – "अपीलार्थी अब तीन वर्षों में विवादित भूमि पर वृक्षारोपण करें यदि अपीलार्थी तीन वर्षों में वृक्षारोपण नहीं करता है तो आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही पुनः की जा सकती है" किन्तु तीन वर्षों में वृक्षारोपण हेतु अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त 14 वर्ष व्यतीत होने पर भी अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं किया गया है। निजी वन विकास हेतु राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के तहत एक निश्चित अवधि 10–15 या अधिकतम 25 वर्षों के लिये आवंटित की गई थी जिसमें नियमानुसार आवंटन अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात आवंटित भूमियां पुनः राज्य सरकार में नीहित हो जानी चाहिये। विचाराधीन प्रकरण में आवंटी को विवादित आराजी आवंटन की 35 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है जो अधिकतम 25 वर्ष की अवधि से अधिक है। आवंटी अथवा अप्रार्थी द्वारा 25 वर्ष की अवधि पश्चात आवंटन के नवीनीकरण हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं आवंटित आराजी पर वृक्षारोपण नहीं कर आज तक आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पिता श्री वीरूमल पुत्र श्री

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

रिझूमल, जाति सिन्धी, निवासी ग्राम रूपनगढ के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त कथन गलत एवं बेबुनियाद है। उनका कथन है कि ग्राम रूपनगढ स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 2406 रकबा 4.7561 हैक्टर (30 बीघा) में से 15 बीघा भूमि अप्रार्थी के पिता श्री वीरूमल पुत्र श्री रिझूमल, जाति सिन्धी, निवासी ग्राम रूपनगढ को राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के अन्तर्गत दिनांक 29.08.1986 को आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा व दखल प्रदान किया गया था। विवादित आराजी के सम्बन्ध में इस न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर व मान0 राजस्व मण्डल में अपीलें विचाराधीन रही हैं जो निस्तारित हो चुकी हैं। माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 11.06.2007 से अप्रार्थी के पिता के पक्ष में किया गया विवादित आराजी का आवंटन बहाल रखा गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत नजरसानी संख्या 7413/2007 सरकार बनाम ईश्वरी देवी वगै0 दिनांक 23.01.2009 को निरस्त की जा चुकी है। मान0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णयों से सिद्ध है कि अप्रार्थी द्वारा कई मर्तबा नर्सरी से पौधे लाकर खड्डे खोदकर वृक्षारोपण किया गया है एवं पाण्डे नर्सरी फार्म पुष्कर से आम कलमी, आंवला, चांदनी, नींबू व अशोका आदि के पौधे खरीदकर लगाये गये हैं। पौधों को पास स्थित नाडी से पानी लाकर सींचा गया है परन्तु वर्षा व पानी के अभाव एवं प्रकृति द्वारा साथ नहीं दिये जाने से अधिकतर पौधे नष्ट हो गये। मान0 राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7345/2011 सरकार बनाम राजस्व मण्डल अजमेर वगै0 में दिनांक 14.08.2012 को आदेश पारित किया जाकर रिट याचिका निरस्त की गई है एवं आक्षेपीय आवंटन आदेश दिनांक 29.08.1986 बहाल रखा गया है जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा सक्षम न्यायालय के सक्षम किसी प्रकार की कोई चाराजोही नहीं की गई है। माननीय उच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय है जिसके आदेश पर राजस्थान सरकार द्वारा मुर्तिब विधियां यथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान ओवरलेप नहीं कर सकते। वकील अप्रार्थी ने आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत रूपनगढ द्वारा आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर महोदय, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 17.12.2020 से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2406 कुल रकबा 4.7561 हैक्टर में से रकबा 4.2707 हैक्टर भूमि आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है जिसका नामान्तरकरण संख्या 6385 दिनांक 11.02.2021 स्वीकृत किया गया है। भूमिधारक को उपरोक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी एवं वे समस्त प्रकरणों में पक्षकार मुर्तिब थे किन्तु उक्त तथ्यों को प्रकट नहीं करने व न्यायोचित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण जिला कलक्टर महोदय, अजमेर द्वारा पूर्ण साक्ष्य रेकॉर्ड पर नहीं होने व त्रुटिपूर्ण रेकॉर्ड प्रस्तुत होने से सहवन की त्रुटिवश आरक्षण आदेश दिनांक 17.12.2020 पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 112/2021 प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। उक्त अपील में स्वयं भूमिधारक द्वारा दिनांक 18.08.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर विवादित आराजी में से रकबा 4.2707 हैक्टर भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने के आदेश को निरस्त कराने का निवेदन किया है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है जब तक कि विवादित आराजी बाबत संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

समक्ष अपील विचाराधीन है। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के पिता श्री वीरूमल पुत्र श्री रिझूमल, जाति सिन्धी, निवासी ग्राम रूपनगढ के पक्ष मे दिनांक 29.08.1986 को राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के अन्तर्गत किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा श्री वीरूमल पुत्र श्री रिझूमल, जाति सिन्धी, निवासी ग्राम रूपनगढ के पक्ष में ग्राम रूपनगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 2406 कुल रकबा 30 बीघा किस्म गै0मु0 खारडा में से रकबा 15 बीघा भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के अन्तर्गत दिनांक 29.08.1986 को आवंटन किया गया किन्तु आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.1992 के द्वारा आवंटी को किया गया विवादित आराजी का आवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 22.05.2006 से खारिज हुई। इस आदेश के विरूद्ध मान0 राजस्व मण्डल में अपील पेश होने पर एकलपीठ के निर्णय दिनांक 11.06.2007 से तीन वर्ष में पौधारोपण किये जाने का अवसर प्रदान किया जाकर उक्त आदेश निरस्त किये गये। तहसीलदार किशनगढ (भूमिधारक) ने उक्त निर्णय के विरूद्ध मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जो निर्णय दिनांक 14.08.2012 के द्वारा खारिज कर दी गई। हालांकि यह तथ्य निर्विवादित रूप से सिद्ध है कि मान0 उच्च न्यायालय द्वारा तहसीलदार किशनगढ की रिट याचिका खारिज की जा चुकी है किन्तु मान0 न्यायालय के निर्णय के पश्चात पटवारी हल्का रूपनगढ की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.06.2016 व 29.05.2019 से यह भी स्पष्ट है कि आवंटी व अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि में निजी वन विकास का कार्य नहीं किया गया है एवं न ही मौके पर कब्जा है। विवादित आराजी मौके पर रिक्त है। आवंटी को राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के नियम 13(1) के अन्तर्गत विवादित आराजी का आवंटन 25 वर्षों के लिये किया गया था। आवंटी/अप्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में वृक्षारोपण/पौधारोपण नहीं करने पर आवंटन निरस्त किया गया था। अप्रार्थी के पूर्वाधिकारी अथवा अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के नवीनीकरण हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। मान0 राजस्व मण्डल राज0, अजमेर के निर्णय दिनांक 11.06.2007 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2012 के बाद लगभग 10 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर वृक्षारोपण/पौधारोपण नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी की आवंटन दिनांक 29.08.1986 से आवंटन अवधि लगभग 35 वर्षों से भी अधिक व्यतीत हो चुकी है किन्तु अप्रार्थी के पूर्वाधिकारी अथवा अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर निजी वन विकास के तहत किसी प्रकार का वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पिता आवंटी श्री वीरूमल पुत्र श्री रिझूमल, जाति सिन्धी, निवासी ग्राम रूपनगढ के पक्ष में ग्राम रूपनगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 2406 कुल रकबा 30 बीघा किस्म गै0मु0 खारड़ा में से रकबा 15 बीघा भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के अन्तर्गत किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर